कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्योपुर (म.प्र.)

क्रमांक / एस.डब्ल्यू / 2020 / 3540 श्योपुर, दिनांक 01.04.2020

संशोधित आदेश

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973)

दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश कमांक / एस. डब्ल्यू / 2020 / 3163 श्योपुर दिनांक 25.03.2020 एवं आदेश कमांक एस.डब्ल्यू / 2020 / 3205 श्योपुर दिनांक 28.03.2020, एवं कमांक / एस.डब्ल्यू / 2020 / 3211 श्योपुर दिनांक 29.03.2020 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

श्योपुर शहर को निम्नलिखित चार सेक्टर में अनुसार विभाजित किया जाकर कॉलम नम्बर 2 में अंकित अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है:-

क.	नोडल अधिकारी का नाम	पदनाम	आवंटित सेक्टर
1	2	3	4
1	सुश्री रजनी बघेल	प्रभारी तहसीलदार तहसील श्योपुर	बस स्टेण्ड से लेकर सूबात कचहरी चौराहा तक दौनो तरफ, दॉये तरफ पुल दरवाजा (बडौदा गेट) एवं भोई मोहल्ला, बॉये तरफ बालापुरा तक
2	श्री राघवेन्द्र कुशवाह	नायब तहसीलदार तहसील श्योपुर	सोईकलॉ से लेकर बस स्टेण्ड तक मुख्य सडक के दौनो तरफ, दॉये तरफ बस स्टेण्ड के पीछे सीप नदी तक, बॉये तरफ चम्बल कॉलोनी, ब्लॉक कॉलोनी, बायपास रोड तक
3	श्री टी.एस.लकडा	राजस्व निरीक्षक	बस स्टेण्ड से जैदा तिराहे तक मुख्य सडक के दौनो तरफ, दॉये तरफ सीप नदी तक, बॉये तरफ पुराना अस्पताल तक तथा उसके पीछे नाले तक व पुल दरवाजे तक
4	श्री श्रीपाल अकोरिया	राजस्व निरीक्षक	सूबात चौराहे से किला, बगवाज, शिवपुरी रोड, आनंद नगर, मुख्य सडक के दौनो तरफ

1. आमजन उसके निवासरत सेक्टर से दूसरे सेक्टर में नहीं जा सकेंगे । आमजन बाहर निकलने पर अपना परिचय पत्र साथ रखेंगे।
2. दिनांक 03.04.2020 से सब्जी मण्डिंया पूर्णतः बंद की जाती है मात्र होलसेल फल एवं सब्जी वालो के लिए मेला ग्राउण्ड पर व्यवस्था रहेगी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्योपुर सब्जी हॉलसेल विकेता से सम्पर्क कर प्रत्येक वार्ड के लिए एक ठेला फल वितरण की व्यवस्था हेतु एवं दो ठेले के माध्यम से वार्डवार सब्जी वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि संबंधित वार्ड निवासी अपने ही वार्ड में ठेले से सब्जी कय कर सके तथा कोई भी व्यक्ति को बाजार में सब्जी मण्डी से क्रय करने की अनुमति नहीं रहेगी।
3. दिनांक 03.04.2020 से किराने की दुकान वैकल्पिक दिवस पर ही खोली जा सकेगी तथा दुकान खोले जाने का समय पूर्ववत प्रातः 07.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक रहेगा। वैकल्पिक दिवस अनुसार 15 अप्रेल तक दिनांक 3, 5, 7, 9, 11, 13 तारीख में किराना दुकाने बंद रहेंगी, शेष तारीख दिवस में खोली जा सकेगी। उपरोक्तानुसार व्यवस्था सम्पूर्ण जिले में रहेगी इस हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व व्यवस्था सुनिश्चित करें।
4. पेट्रोल पंप, मेडिकल दुकान, गैस ऐजेन्सी, पूर्ववत प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।

उपरोक्तानुसार जानकारी की मुनादी नगरपालिका और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के माध्यम से सुनिश्चित करें।

शेष आदेश यथावत रहेगा। यह आदेश पूर्व आदेश का भाग रहेगा।

(प्रतिभा पाल)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला श्योपुर (म.प्र.)

पृष्ठा. क्रमांक/एस.डब्ल्यू./2020/35-41 श्योपुर दिनांक 1-4-202

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त चंबल संभाग मुरैना।
3. पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन मुरैना।
4. पुलिस अधीक्षक श्योपुर ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्योपुर।
6. अपर कलेक्टर जिला श्योपुर ।
7. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल कूनो/सामान्य।
8. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्योपुर।
9. अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्योपुर/विजयपुर/कराहल।
10. अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्योपुर/बड़ौदा/विजयपुर।
11. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसील श्योपुर/विजयपुर/कराहल/वीरपुर/बड़ौदा।
12. मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्योपुर/बड़ौदा/विजयपुर की आदेश की मुनादी कराये जाने हेतु।
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्योपुर/विजयपुर/कराहल की ओर आदेश की मुनादी कराये जाने हेतु।
14. समस्त कार्यालय प्रमुख ....जिला श्योपुर की ओर सूचनार्थ ।
15. समस्त थाना प्रभारी ....जिला श्योपुर की ओर सूचनार्थ।
16. प्रभारी अधिकारी पुलिस कन्ट्रोल रूम श्योपुर।
17. जिला जनम्पर्क अधिकारी श्योपुर की ओर प्रचार प्रसार हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला श्योपुर (म.प्र.)